<u>प्रकरण संख्या 6/2021 कमल बनाम श्रीमती मुन्नाबाई व अन्य</u>

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 326 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि गांव गोवर्धन विलास में स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। वादी ने उक्त हिस्सा श्रीमती लक्ष्मी शाह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था, तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। अन्य सहखातेदारों की तरह वादी ने भी अपने भूखण्ड पर मकान बना रखा है तथा शेष भाग पर कच्ची बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है, किन्तु प्रतिवादीगण वादी के उक्त भूखण्ड को अन्य को विक्रय करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>प्रतिवादीगण द्वार खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियां कायम की गयी एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.08.2020 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।<br><br>अभिभाषक [illegible] दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन [illegible] कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय [illegible] 29.12.2020 को हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested

हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादी/अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि भूखण्ड के रूप में क्रय किया है तथा क्रय करने से पूर्व ही अन्य सहखातेदारों से मौके पर विधिवत विभाजन कर कब्जा प्राप्त किया। नगर विकास प्रन्यास द्वारा अभी इस आवासीय योजना का जो बसन्त विहार के नाम से है, के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। वादी ने दस्तावेजों से साबित कराया है कि वादी की आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है, फिर भी वे जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की तथा अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा बताया कि स्वयं अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में विवादित भूखण्ड संयुक्त कृषि भूमि का खरीदना स्वीकार किया है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से भूमि पर मकान का निर्माण करवा लिया है तथा रेस्पोन्डेन्ट के हिस्से में आयी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियम से निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व रिकॉर्ड अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested

**प्रकरण संख्या 6/2021 कमल बनाम श्रीमती मुन्नाबाई व अन्य**

| | | |
|---|---|---|
| | हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 326 रकबा 0.1500 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादी द्वारा उक्त 1/4 हिस्सा पूर्व खातेदार श्रीमती लक्ष्मी शाह पत्नी हुकमी चन्द शाह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.03.1999 से क्रय किया गया है। मिलान क्षेत्र अनुसार हाल आराजी नंबर 326 के साबिक नंबर 239 होकर पूर्व में सहखातेदार के मध्य विभाजन होना इकरार विभाजन से स्पष्ट है। हालांकि उक्त विभाजन रजिस्टर्ड नहीं है, किन्तु पक्षकारों के मध्य विभाजन होना प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पक्षकारान के सहखातेदारी में दर्ज होने से अपीलान्ट का निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया है, जबकि हमारे द्वारा उपरोक्त विवेचन अनुसार सहखातेदारों के मध्य पूर्व में विभाजन होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त इकरार विभाजन पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं।<br><br>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में इकरार विभाजन पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(प्रदीप सिंह सांगावत)<br>भू–प्रबन्ध अधिकारी<br>एवं ... स्व अपील अधिकारी<br>...पुर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested